I - 6685/09

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

दस हज़ार रुपये — RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 054846

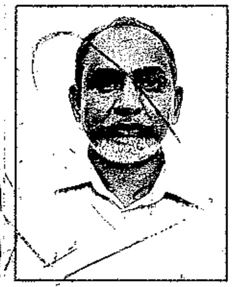

क्रेता

विक्रेता

28 MAR 2009

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख आज दिनांक 12 माह [illegible] वर्ष 2009 की उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है। जिसे एतद् पश्चात "परिषद कहा गया है जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के माध्यम से होता है और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त परिषद इसका पद धारक उत्तराधिकारी और अभ्यर्पिती है और सम्मिलित हैं।

क्रमशः 2 पर

क्रेता विक्रेता

आदर्श कोषागार [illegible]

दिनांक [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

द्वारा [illegible]

स० रोकड़िया मुख्य रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 382711

-2 JUN 2009

(2)

एक पक्ष और श्री फारूकी मोहम्मद खालिद उमर पुत्र श्री अलीम फारूकी वर्तमान पता 19/860, इन्दिरा नगर, लखनऊ जिसके एतद्पश्चात पंजीकृत इच्छुक केता कहा गया है और जिस पद का तात्पर्य और जिस में जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त पंजीकृत इच्छुक केता, उसके उत्तराधिकारी,विधिक प्रतिनिधि,निष्पादक और प्रशासक से है और सम्मिलित है दूसरे पक्ष के बीच किया गया, यह प्रदर्शित करता है कि:–

कमशः 3 पर

केता

विक्रेता

आदर्श कोषागार, लखनऊ

दिनांक ....

महा .... जनरल ....

नाम ....

द्वारा ....

स० रोकड़िया	मुख्य रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F-382710

2 JUN 2009

(3)

चूंकि उक्त परिषद भूमि की स्वामी है और उसने शहर/नगर लखनऊ तहसील लखनऊ जिला लखनऊ में वृन्दावन योजना संख्या–1 नामक मुहल्ले के सेक्टर– 6A भूखण्ड संख्या–6A/COM-4 कुल मूल्य है और चूंकि उक्त परिषद ने रू० 63,57,666.00 (रू० तिरसठ लाख सत्तावन हजार छः सौ छाछठ मात्र) जिसका आधा रू० 31,78,833.00 (रू० इकत्तीस लाख अट्हत्तर हजार आठ सौ तैतीस मात्र) होता है, के प्रतिफल स्वरूप उक्त सम्पत्ति (संख्या–6A/COM-4) को, जिसका पूर्ण विवरण और जिसकी माप इस विलेख से संलगन अनुसूची''क''में उल्लिखित है। (जिसे एतद्पश्चात उक्त सम्पत्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) बेचने का प्रस्ताव

क्रमशः 4 पर

क्रेता

विक्रेता

आदर्श कोषागार, लखनऊ

दिनांक ..... 1/8/65 .....

मूल्य ..... 1/- ..... जनरल स्टाम्प

नाम ....

द्वारा ....

सह-रोकड़िया   मुख्य रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 382709

2 JUN 2009

किया है और चूंकि इच्छुक केता उक्त सम्पत्ति को परिषद से उक्त मूल्य पर और इस विलेख में वर्णित निबन्धन और शर्तो के अधीन कय करने के लिए सहमत है अतएव रू० 63,57,666.00 (रू० तिरसठ लाख सत्तावन हजार छः सौ छाछठ मात्र) की धनराशि के प्रति फल स्वरूप और सभी सम्बद्ध पक्षों के लिए इसमें समाविष्ट निबन्धन और शर्तो के अधीन परिषद एतद् द्वारा वृन्दावन योजना सं० 1 लखनऊ में स्थित सम्पूर्ण सम्पत्ति और संरचना (सम्पत्ति सं० 6A/COM-4) जिसे नीचे दी गई अनुसूची में और अधिक पूर्णरूप से वर्णित किया गया है, इच्छुक केता को उसे निम्नलिखित निबन्धन और शर्तो के अधीन सर्वदा धृत करने के लिए विकय और अन्तरित करती है:-

कमशः 5 पर

केता

विक्रेता

आदर्श कोषागार, लखनऊ

दिनांक ....5/6/5........

शेड्यूल .... जनरल स्टाम्प

नाम ....

द्वारा ....

स० रोकड़िया मुख्य रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 219041

26 MAY 2009

(5)

(1) परिषद को उक्त सम्पत्ति का, जो ऐसे प्रयोजन के अनुसरण में जिसके लिए परिषद का गठन किया गया था, एतद् द्वारा विक्रय किया गया हो, हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार और स्पष्ट प्राधिकार है।

(2) एतद्द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पत्ति समस्त भार से मुक्त हैं।

(3) उक्त सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा इच्छुक क्रेता को प्रदत्त किया जाना है

(4) इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति को परिषद द्वारा या उक्त परिषद के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किसी व्यवधान या बाधा के बिना ग्रहीत करेगा और उसका उपभोग करेगा।

क्रमशः 6 पर

विक्रेता

क्रेता

आदर्श कोषागार, लखनऊ

दिनांक ....

मूल्य .... जनरल स्टाम्प

नाम ....

द्वारा ....

स० ....   कोषाध्यक्ष

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 219042

2 4 MAY 2009

(5) यदि इच्छुक केता एतद्द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग से किसी पूर्ववर्ती भार ग्रस्तता, किन्हीं दावों या मांगों के कारण या उक्त परिषद के त्रुटियुक्त हक के कारण वंचित किया जाय तो उक्त परिषद इच्छुक केता को युक्ति युक्त सीमा तक हानि,क्षति और खर्च की क्षति पूर्ति करेगी।

(6) उक्त सम्पत्ति का विकय कर दिया गया है और इच्छुक केता ने इसे उक्त परिषद द्वारा यथा प्रस्तावित भूखण्डों और मकानों के इच्छुक केताओं को पंजीकरण की योजना से संबंधित नियमों और अनुदेशों के अधीन कय किया है और इसमें ऐसे संशोधन या परिवर्द्धन किए जा सकेंगे जो समय–समय पर प्रस्तावित और लागू किये जायें जिनमें से कुछ नीचे उद्धत किए जा रहे है :–

कमशः 7 पर

केता विक्रेता

आदर्श कोषागार, लखनऊ

दिनांक ....

संख्या .... [illegible]

नाम ....

द्वारा ....

स० लेखाधिकारी मुख्य कोषाधिकारी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 219043

26 MAY 20..

(7)

(क) सम्पत्ति का हस्तान्तरण इच्छुक केता को इसकी वर्तमान दशा मे किया गया है और इच्छुक केता को बाद में किसी कारण से कोई शिकायत या आपत्ति नहीं होगी। और न ही कोई दावा इस सम्बन्ध में स्वीकार्य होगा।

(ख) इच्छुक केता द्वारा सम्पत्ति का उपयोग केवल व्यवसायिक प्रयोजन के लिए किया जाएगा।

कमशः 8 पर

केता

विक्रेता

आदर्श कोषागार, लखनऊ

दिनांक ...... 5/10/6/15 ......

मूल्य ...... 1 [illegible] ...... जनरल स्टाम्प

नाम ...... [illegible]

द्वारा ......

स० रोकड़िया मुख्य रोकड़िया

(7) उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक क्रेता ने इसे इस बात की स्पष्ट और पूरी समझदारी के साथ क्रय किया है कि इच्छुक क्रेता केन्द्रीय या राज्य सरकारों के किसी प्राधिकारी द्वारा परिषद से किसी धनराशि के लिए चाहे जो भी हो, दावा किए गये किन्हीं प्रभारों के आनुपातिक भुगतान के लिए सदैव देनदार रहेगा और यह कि इच्छुक क्रेता उक्त परिषद की कालोनी में सड़को, जल सम्पूर्ति, बिजली, सीवर और जल निस्तारण और किन्हीं अन्य सुविधाओं के अनुरक्षण और विनियम जैसी व्यवस्था के प्रभार के प्रतिकिसी अंशदान के लिए भी,जैसी और जब अपेक्षा की जाय, देनदार होगा और इच्छुक क्रेता द्वारा परिषद को देय ऐसी मासिक या वार्षिक धनराशि उक्त सम्पत्ति (संख्या–6A/COM-4) पर प्रथम प्रभार के रूप में होगी और परिषद उक्त धनराशि को 24% (चौबीस प्रतिशत) की दर से ब्याज सहित पंजीकृत क्रेता से वसूल करने की विधिक रूप से हकदार होगी।

(8) पंजीकृत इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति का उपयोग व्यवसायिक प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही करेगा और वह विक्रय किये गये सम्पत्ति के सम्बन्ध में परिषद के सभी अनुदेशों को सर्वथा अनुसरण करेगा।

(9) इस विलेख के अधीन परिषद से इच्छुक क्रेता का आवंटित भूमि में जिस पर उक्त सम्पत्ति संख्या–6A/COM-4 स्थित है के अतिरिक्त अनुलग्न भूमि या उसके बगल में स्थित भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हक संक्रमित नहीं होगा या संक्रमित नहीं समझा जाये।

क्रेता

विक्रेता

क्रमशः 9 पर

(10) क्रेता ने विलेख में दिए गये निबन्धन और शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है और उसके पूर्णरूप से जानकारी है कि इस विक्रय विलेख के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किये गये अधिकार सदैव विलेख में दिये गये निबन्धों और शर्तो के अधीन होगें।

जिसके साक्ष्य में **श्री ए०आर०रावत,सहायक आवास आयुक्त** ने परिषद के लिए और उसकी ओर से और **श्री फारूकी मोहम्मद खालिद उमर** आशयिता 6A/COM-4 क्रेता ने स्वयं खरीदार के रूप में स्वेच्छा और सम्पत्ति से किसी प्रभाव या प्रपीड़न के बिना साक्षियों की उपस्थिति में एतद्द्वारा अपने–अपने हस्ताक्षर किये।

नोटः– उक्त व्यवसायिक भूखण्ड का कुल मूल्य रू० 63,57,666.00 एवं ब्याज/अतिरिक्त ब्याज रू० 1,88,445.00 कुल रू० 65,46,111.00 पर देय स्टाम्प रू० 4,58,400.00 में उप निबन्धक(प्रथम) लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 07.01.2009 को पुस्तक संख्या I के खण्ड संख्या 9805 के पृष्ठ संख्या 163 से 214 पर कम संख्या 205 पर रजिस्टर्ड किराया किश्त कय अनुबन्ध में प्रयुक्त स्टाम्प रू० 4,45,100.00 समायोजन उपरान्त शेष रू० 13,300.00 के स्टाम्प पेपर पर विक्रय विलेख निष्पादित किया जा रहा हैं।

नोटः–2 उक्त व्यवसायिक भूखण्ड संख्या 6A/COM-4 का व्यवसायिक ही प्रयोग किया जायेगा।

कमशः 10 पर

क्रेता

विक्रेता

अनुसूची "क"
विक्रय की गई सम्पत्ति की अनुसूची

सम्पत्तिसं० श्रेणी 6A/COM-4 व्यवसायिक भूखण्ड

सीमाएँ: उत्तर– 24.00 मीटर चौड़ी सड़क		क्षेत्रफल	622.02	वर्ग मीटर
पूर्व– 24.00 मीटर चौड़ी सड़क		उत्तर–	22.215	मीटर
दक्षिण– भूखण्ड सं० 6A/COM-5		पूर्व–	28.00	मीटर
पश्चिम– भूखण्ड सं० 6A/FS		दक्षिण–	22.215	मीटर
		पश्चिम–	28.00	मीटर

1–साक्षी:1–हस्ताक्षर
2–नाम
3–पता
बी० [illegible] वर्मा
लेखाकार

2–साक्षी:1–हस्ताक्षर
2–नाम
3–पता
J.AO

विक्रेता के लिए और उसकी ओर से

(कृते आवास आयुक्त)

विक्रेता

1–साक्षी:1–हस्ताक्षर M. Ahmad
2–नाम इकबाल अहमद
3–पता 19/860 इन्दिरा नगर लखनऊ

क्रेता के लिए और उसकी ओर से

2–साक्षी:1–हस्ताक्षर सरफराज
2–नाम सरफराज अहमद
3–पता 19/1052 इन्दिरा नगर लखनऊ

1–हस्ताक्षर
2–नाम फारूकी मोहम्मद खालिद
3–पता19/860,इन्दिरा नगर लखनऊ
क्रेता

विक्रय पत्र

6,546,111.00/		5,000.00	40	5,040.00	2,000
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री /श्रीमती इकबाल अहमद बहै0त0 मु0 फारुकी मो0 खालिद
पुत्र / पत्नी श्री सत्तार अहमद
पेशा व्यापार
निवासी स्थायी 19/860 इन्दिरा नगर लखनऊ
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 23/6/2009 समय 4:59PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

पी.के.द्विवेदी
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
23/6/2009

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

क्रेता
श्री/श्रीमती इकबाल अहमद बहै0त0 मु0 फारुकी मो0 खालिद
पुत्र/पत्नी श्री सत्तार अहमद
पेशा व्यापार
निवासी 19/860 इन्दिरा नगर लखनऊ

इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि इस लेखपत्र का निष्पादन श्री उ0 प्र0 आ0 वि0 प0 द्वारा ए0 आर0 रावत स0 प्र0 अ0 ने अपने पद के अधिकार से किया है इसलिये उनकी उपस्थिति और हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं है, और लेखपत्र रजिस्टीकरण के लिए स्वीकार किया गया।

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री मो0 मुवीन योजना सहा0
पुत्र श्री उ0 प्र0 आ0 वि0 प0
पेशा नौकरी
निवासी

व श्री मो0 एखलाक
पुत्र श्री स्व0 शरफराज अली
पेशा नौकरी
निवासी सी- 5289 राजाजीपुरम लखनऊ
ने की ।

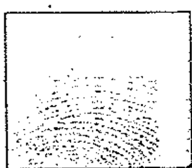

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

पी.के.द्विवेदी
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
23/6/2009

(I.S.O.-9001:2000 CERTIFIED BOARD)
OFFICE OF THE PROJECT MANAGER
CONSTRUCTION UNIT - 3
U.P. AVAS EVEM VIKAS PARISHAD
SECTOR -4B- 258,259,260, VRINDAVAN YOJNA,
LUCKNOW.

Duplicate

SITE PLAN OF PLOT NO. 6A / COMM.- 4 SECTOR - 6, POCKET - A
AT. VRINDAVAN YOJNA NO. 1 LUCKNOW.
NAME OF ALLOTTEE :- **Mr.FAROOQUI MO. KHALID UMER**

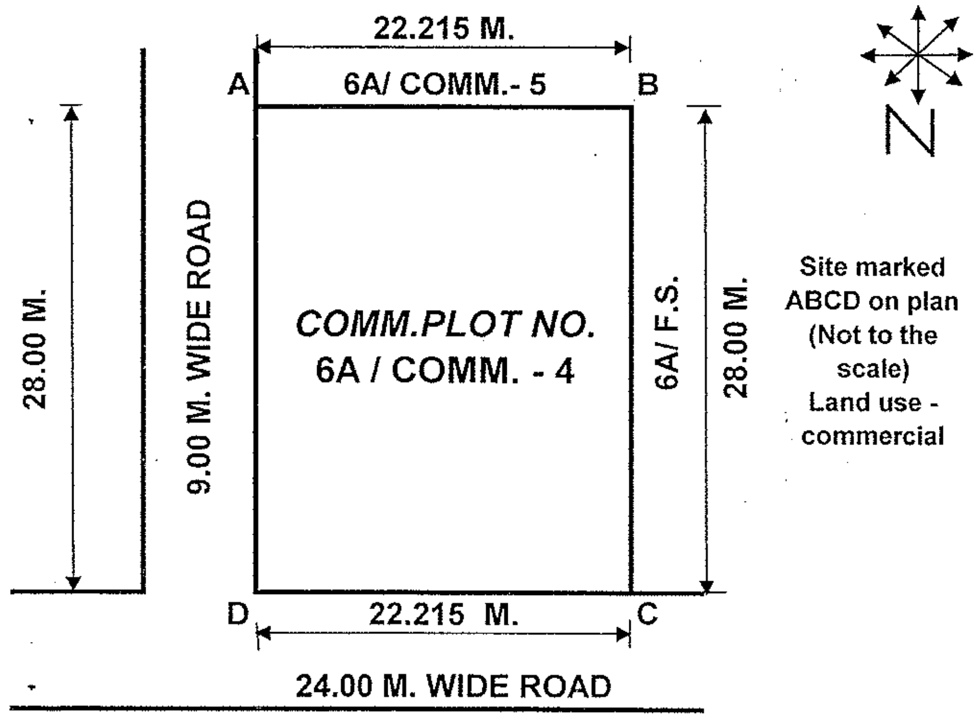

Site marked ABCD on plan (Not to the scale)
Land use - commercial

MEASUREMENT'S		BOUNDRIE'S	
FRONT SIDE	22.215 M.	FRONT SIDE	24.00 M. WIDE ROAD
BACK SIDE	22.215 M.	BACK SIDE	PLOT NO. 6A / COMM.- 5
RIGHT SIDE	28.00 M.	RIGHT SIDE	PLOT NO. 6A / F.S.
LEFT SIDE	28.00 M.	LEFT SIDE	9.00 M. WIDE ROAD
TOTAL AREA	622.02 SQM.		

06/06/09
D/MAN

06/06/09
J.E.

6/6/09
C/s A.E.

क्रेता

Registration No. 6685 Year : 2009 Book No. 1

0201 इकबाल अहमद बहै0त0 मु0.फारूकी मो0 खालिद

सत्तार अहमद

19/860 इन्दिरा नगर लखनऊ

व्यापार

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32 ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टस्

प्रस्तुतकर्ता / क्रेता का नाम व पता :- श्री फारूकी मोहम्मद खालिद उमर पुत्री अलीम फारूकी 19/86 इंदिरा नगर लखनऊ

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिनें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

प्रस्तुतकर्ता / क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम व पता :- श्री ए० आर० रावत सहायक आवास आयुक्त / सम्पत्ति प्रबन्धक
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, वृन्दावन योजना, लखनऊ

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

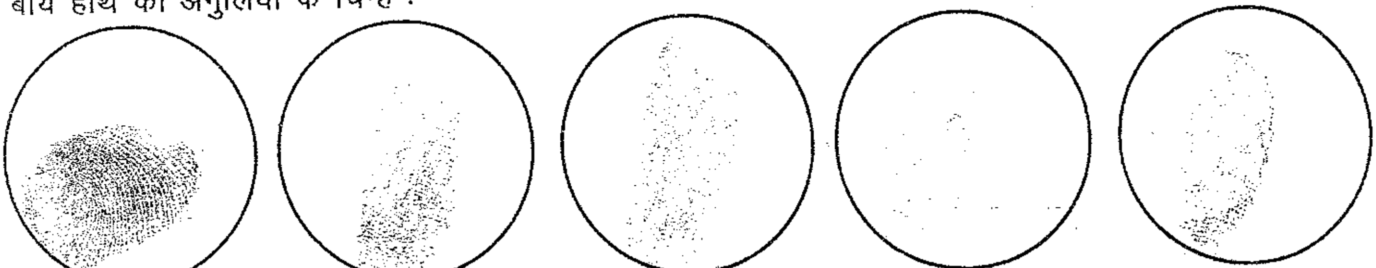

दाहिनें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

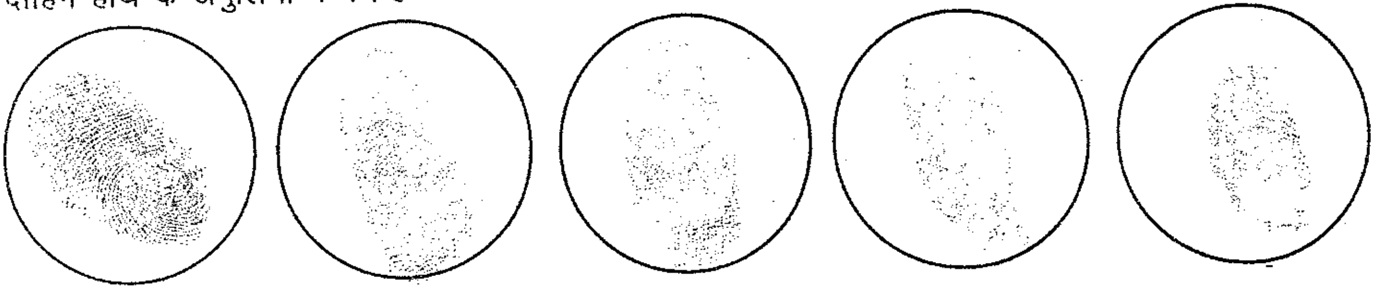

विक्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

आज दिनांक 23/06/2009 को

वही सं 1 जिल्द सं 10230

पृष्ठ सं. 201 से 224 पर कमांक 6685

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

पी.के.द्विवेदी
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
23/6/2009